न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बस्सी, जयपुर

(पीठासीन अधिकारी डॉ. गरिमा शर्मा RAS)

डिक्री मुकदमा इब्तदाई (ओ. 20 रूल्स व 7 जाब्ता दीवानी)

वादीया

1. चेतना पुत्री सियाराम जाति मीणा निवासी पी.एन.विवेक विहार कालोनी, सोडाला, जयपुर।

प्रतिवादी

1. मनभर शर्मा पत्नी अर्जुन कुमार शर्मा जाति हरियाणा ब्राहमण निवासी ग्राम रामसर पालावाला, तहसील बस्सी जिला जयपुर।

तरतीबी प्रतिवादी

2. सरकार जरिये तहसीलदार बस्सी, तहसील बस्सी जिला जयपुर।

दावा बंटवारा एवं स्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा 53, 188 राज0 काश्त0 अधिनियम 1955

उपस्थित :—श्री सुधीर शर्मा, एड0 वादीया।
श्री विनोद शर्मा, एड0 प्रतिवादी संख्या 1

पर्चा डिक्री

मुकदमा न0 166 / 2022

जी.सी.एम.एस. न0 2022 / 121

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कई रूबरू हमारे .... वादीया व .... प्रतिवादीगण मिनजामिन मुद्दई रूबरू हमारे मिनजामिन मुद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि दावा वादीया तकसीम आराजी व स्थाई निषेधाज्ञा हाल आराजी खाता संख्या नया 73 खसरा नम्बर 11/1 रकबा 1.0495 है0 ग्राम भावसरईशरवाला तहसील बस्सी जिला जयपुर मुताबिक कुर्रेजात रिपोर्ट तहसीलदार बस्सी रिपोर्ट दिनांक 11.07.2025 के अनुसार डिक्री किया जाता है। आराजी विवादित का पक्षकारान में निम्न प्रकार विभाजन किया जाता है:—

क्र.स.	नाम खातेदार	खसरा संख्या	रकवा (है0)
1	चेतना पुत्री सियाराम जाति मीणा निवासी पी.एन. 454 विवेक विहार कॉलोनी सोडाला जयपुर।	11/1/1	0.5058
		कुल किता 1	कुल रकवा 0.5058
2	मनभर शर्मा पत्नी अर्जुन कुमार शर्मा जाति हरियाणा ब्राहमण निवासी रामसर पालावाला खातेदार।	11/1	0.5437
		कुल किता 1	कुल रकबा 0.5437

अतः उपरोक्तानुसार राजस्व जमाबन्दी में अंकन स्वीकार किया जाकर पृथक—पृथक खाते कायम किये जाकर लगान फाटनी अलग—अलग की जावें। रहन इत्यादि हो तो बदस्तूर रखा जावें। तहसीलदार (भू.अ.) बस्सी के जरिये पत्राक भू.अ./2025/4481 दिनांक 11.07.2025 के द्वारा प्राप्त विधिक विभाजन प्रस्ताव व इसके संलग्न नजरी नक्शा मय कुर्रेजात रिपोर्ट को अन्तिम डिक्री का भाग बनाया जाता है। वादीया एवं प्रतिवादी संख्या 1 को बाद तकसीम अपने पृथक—पृथक संबंधित खाते में दर्ज खातेदारी आराजी के अलावा अन्य खातेदारी आराजी पर बेदखल करने का प्रयास नहीं करने एवं आमद—रफत में मजाहमत उत्पन्न नहीं करने बाबत् स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है।

यह निर्णय आज दिनांक 29/07/2025 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया।

Garima 29/7/25

(डॉ. गरिमा शर्मा R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी बस्सी
जिला जयपुर

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी
सत्यमेव जयते
बस्सी, जयपुर (राज.)

Scanned with OKEN Scanner